प्रेस विज्ञप्ति
05/06/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद सब-ज़ोनल कार्यालय ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20.6 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। यह इस मामले में छठी कुर्की है। कुर्क की गई संपत्तियां हाइजिया ग्रुप ऑफ कॉलेज, घैला रोड, गाजीपुर बलराम रोड, आईआईएम रोड के पास, प्रबंध नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कॉलेज भवनों के रूप में हैं।

छात्रवृत्ति घोटाला मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई खुफिया जानकारी और एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की ।

ईडी की जांच में पता चला है कि कॉलेजों के प्रबंधकों और ट्रस्टियों ने नाम मात्र के लिए फर्जी/डमी विद्यार्थियों को अपने संस्थानों में दाखिला दिलाया और सरकारी पोर्टल पर उनके नाम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। इस संबंध में सभी औपचारिकताएं और कागजी कार्रवाई कॉलेजों के प्रबंधकों ने स्वयं की। इस तरह प्राप्त छात्रवृत्ति कॉलेजों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई और उसके बाद नकद निकाल ली गई या निजी खातों में ट्रांसफर कर दी गई। इस तरह उनकी हरकतों के कारण जरूरतमंद और वास्तविक छात्रों को वंचित करके करोड़ों रुपये के सरकारी धन का गबन किया गया।

अब तक इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, विभिन्न कॉलेजों के प्रबंधकों और ट्रस्टियों के नाम पर 20.53 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए 05 अनंतिम कुर्की आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस मामले में माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष छह आरोपियों के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत और तीन पूरक अभियोजन शिकायतें पहले ही दायर की जा चुकी हैं।

इस पीएओ सहित कुल संचित कुर्की 41.13 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है ।